



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272598
CG-DL-E-15052026-272598

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2413]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2505(अ).— केन्द्रीय सरकार, उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4195(अ) तारीख 28 दिसंबर 2016, का.आ. 4198(अ) तारीख 28 दिसंबर 2016, का.आ. 4200(अ) तारीख 28 दिसंबर 2016, का.आ. 4290(अ) तारीख 28 नवंबर 2019, का.आ. 4293(अ) तारीख 28 नवंबर 2019 और का.आ. 4295(अ) तारीख 28 नवंबर 2019 को अधिक्रांत करते हुए, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को, सारणी के स्तंभ (3) में उनके सामने विनिर्दिष्ट अधिकारिता के लिए उन सभी स्थापनों के संबंध में, जिनके लिए उक्त संहिता की धारा 2 (1) के खंड (घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	अधिकारिता (क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली के कार्यालय में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	संपूर्ण भारत।
2.	अहमदाबाद क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	गुजरात राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र।
3.	अजमेर क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	राजस्थान राज्य।
4.	आसनसोल क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	पश्चिमी बंगाल राज्य में पूरब बर्धवान, पश्चिम बर्धवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के जिले।
5.	बेंगलुरु क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	कर्नाटक राज्य।
6.	भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	ओडिशा राज्य।
7.	मुंबई क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	महाराष्ट्र राज्य (नागपुर, भंडारा, अकोला, बीड, अमरावती, वर्धा, बुलढाणा, जलगांव, चंद्रपुर, नांदेड, गढ़चिरौली, परभणी, लातूर, यवतमाल, उस्मानाबाद, हिंगोली, गोंदिया और वाशिम के सिविल जिलों के सिवाय) और गोवा राज्य।
8.	कोलकाता क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	पश्चिमी बंगाल राज्य (पूरब बर्धवान, पश्चिम बर्धवान, बीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के जिलों के सिवाय), सिक्किम राज्य और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र।
9.	कोचीन क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में माहे।
10.	चंडीगढ़ क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य और जम्मू- कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।
11.	धनबाद क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	झारखण्ड राज्य जिले:- धनबाद, बोकारो, हज़ारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवगढ़, सरायकेला (खरसावां), जमताड़ा, खूंटी और रामगढ़।
12.	गुवाहाटी क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य।

13.	हैदराबाद क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में यनम का क्षेत्र।
14.	जबलपुर क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	मध्य प्रदेश राज्य।
15.	कानपुर क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	उत्तर प्रदेश राज्य [सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूँ, ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा), पीलीभीत, शाहजहाँपुर, रामपुर, बागपत, हापुड, शामली और गौतम बुद्ध नगर सिविल जिलों के सिवाय]।
16.	देहरादून क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूँ, ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा), पीलीभीत, शाहजहाँपुर, रामपुर, बागपत, हापुड, शामली और गौतम बुद्ध नगर सिविल जिले।
17.	चेन्नई क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यनम और माहे के सिवाय)।
18.	नागपुर क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा बुलढाणा, जलगांव, चंद्रपुर, बीड, गढ़चिरौली, नांदेड़, परभणी, यवतमाल, उस्मानाबाद, लातूर, गोंदिया, वाशिम और हिंगोली के सिविल जिले।
19.	दिल्ली क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र।
20.	पटना क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	बिहार राज्य और झारखंड राज्य में गढ़वा, लातेहार, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, पलामू और गोड्डा के सिविल जिले।
21.	रायपुर क्षेत्र में सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	छत्तीसगढ़ राज्य।

[फा. सं. एस-65025/17/2026-आईएसएच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2505(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 Of 2020) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Labour and Employment S.O. 4195(E) dated the 28th December 2016, S.O. 4198(E) dated the 28th December 2016, S.O. 4200(E) dated the 28th December 2016, S.O. 4290(E) dated the 28th November 2019, S.O. 4293(E) dated the 28th November 2019 and S.O. 4295(E) dated the 28th November 2019, the Central Government hereby appoints the following officers mentioned in column (2) of the Table to be the Registering Officer for the area of jurisdiction specified against them in column (3) of the Table in relation to all establishments for which the Central Government is the appropriate Government under clause (d) of section 2 (1) of the said Code, namely:-

TABLE

Serial Number	Designation of Officers	Jurisdiction (Area)
(1)	(2)	(3)
1.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in the office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.	The whole of India.
2.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Ahmedabad region.	The State of Gujarat and the Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Ajmer region.	The State of Rajasthan.
4.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Asansol region.	The districts of Purab Burdwan, Paschim Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
5.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Bangaluru region.	The State of Karnataka.
6.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Bhubaneshwar region.	The State of Odisha.
7.	Regional Labour Commissioners (Central) all Assistant Labour Commissioner (Central) in Mumbai region.	The State of Maharashtra except the civil districts of Nagpur, Bhandara, Akola, Beed, Amaravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Nanded, Gaddchiroli, Parbhani, Latur, Yeotmal, Osmanabad, Hingoli, Gondia and Washim and the State of Goa.
8.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Kolkata region.	The State of West Bengal (except districts of Purab Burdwan, Paschim Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia, the State of Sikkim and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
9.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Cochin region.	The State of Kerala and Union territory of Lakshadweep and Mahe in the Union territory of Puducherry.
10.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Chandigarh region.	The States of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh and Chandigarh.

11.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Dhanbad region.	State of Jharkhand:- Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Kodarma, Ranchi, Lohardaga, Gumla, Simdega, Chatra, East Singhbhum, West Singhbhum, Giridih, Deogarh, Saraikela (Kharsawan), Jamtara, Khunti and Ramgarh.
12.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Guwahati region.	The States of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur, Mizoram and Arunachal Pradesh.
13.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Hyderabad region.	The States of Andhra Pradesh and Telangana and the area of Yanam in the union territory of Puducherry.
14.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Jabalpur region.	The State of Madhya Pradesh.
15.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Kanpur region.	The State of Uttar Pradesh except the districts of Saharanpur, Bijnor, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Badaun, Jyotiba Phule Nagar (Amroha), Pilibhit, Shahjahanpur, Rampur, Bhagpat, Hapur, Shamli and Gautam Budh Nagar.
16.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Dehradun region.	The State of Uttarakhand and districts of Saharanpur, Bijnor, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Badaun, Jyotiba Phule Nagar (Amroha), Pilibhit, Shahjahanpur, Rampur, Bhagpat, Hapur, Shamli and Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh.
17.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Chennai region.	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry except Yanam and Mahe.
18.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Nagpur region.	The districts of Nagpur, Bhandara, Akola, Amaravati, Wardha Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Beed, Gaddchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Gondia, Washim and Hingoli in the State of Maharashtra.
19.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Delhi region.	National Capital Territory of Delhi.
20.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Patna region.	The State of Bihar and the districts of Garhwa, Latehar, Sahibganj, Pakur, Dumka, Palamu and Godda in the State of Jharkhand.
21.	All Regional Labour Commissioners (Central) and all Assistant Labour Commissioners (Central) in Raipur region.	The State of Chhattisgarh.

[F. No. S-65025/17/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour & Employment Advisor